रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-820/2018/1263/22-2-2018-17(351)/2016
लखनऊ:दिनांक: 23 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के स्थान पर भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मथुरा प्रसाद (बन्दी संख्या-42348) पुत्र श्री दयाराम, निवासी-अमखेड़ा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-553/2002 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302/34, 307/34 के अधीन मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय संख्या-1, पीलीभीत द्वारा दिनांक 23.10.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2012 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2018 तक 16 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 01 माह ,22 दिन की सपरिहार सजा भोगने, शारीरिक अशक्तता एवं बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए दयायाचिका के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त, उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-820/2018/1263(1)/22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ।
3-पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ।
4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in